# होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

## परिपत्र–25

क्रमांक पॉच–17/1293/प्रशि0(2)बी/2018, कैम्प –भोपाल, दिनॉक 27 अगस्त, 2018

मध्यप्रदेश नगर सेना अधिनियम, व नियम–1947 के अन्तर्गत भर्ती किये गये स्वयंसेवी होमगार्ड को बेसिक प्रशिक्षण के पश्चात 03 वर्ष के लिए जिले की नगर सेना संचिति का सदस्य नामांकित किया जाता है। उक्त 03 वर्ष की अवधि के दौरान नियम–09 (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत समय–समय पर आव्हान (CALL OUT) व्यवस्था के अन्तर्गत बुलाकर विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन हेतु उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस अवधि में उसकी सेवाओं का आव्हान के प्रावधान के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। इसके लिए उसे शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय एवं भोजन भत्ते का भुगतान किया जाता है। इस 03 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त उसे उसकी इच्छा तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर पुनः नामांकन के लिए एक समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसके लिए विस्तृत निर्देश होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/पॉच–17/1391/स्था(6) उपखण्ड (3)/बी/2003 जबलपुर, दिनांक 20–02–2003 द्वारा जारी किये गये है।

**2–** संचिति के सदस्य रहने की अवधि (03 वर्ष) के दौरान यदि उसके द्वारा कोई अनुशासनहीन कृत्य जिनका वर्णन नियम 12 के अन्तर्गत दिया गया है, कारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/ पॉच–17 /1391/स्था(6) उपखण्ड (3)/बी/2003 जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2003 सहपठित परिपत्र क्रमांक–पॉच–17/3049/प्रशि(2)/बी/2008, दिनांक 08 मई, 2008 में दी गई है।

**3–** पिछले कुछ समय से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर जिन स्वयंसेवी नगर सैनिको को संचिति से विमुक्त किया गया है, उनकी याचिका में पारित आदेशो में यह रेखांकित किया है कि याचिकाकर्ता को उसके विरूद्ध आपेक्षित कदाचरण के लिए दण्डित करने से पूर्व (संचिति से विमुक्त करने से पूर्व) उसे नैसर्गिक न्याय के सिंद्धान्तों के अनुरूप अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया, इसलिए कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20–02–2003/08–05–2008 के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार संचिति से विमुक्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

**4–** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संचिति से विमुक्त करने के आदेशों में रेखांकित की गई त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही कार्यवाही करने के निर्देश होमगार्ड मुख्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिये है।

**5–** इस विषयवस्तु का परीक्षण करने से यह पाया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर सेना नियम–1947 के नियम–12 में अनुशासनहीनता के आधार पर संचिति से विमुक्त करने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें अपचारी को सुनवाई का मौका देकर ही गुण–दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही करने का प्रावधान है। इसी प्रकार नियम–13 में यह प्रावधान किया गया है कि नियम–12 के अन्तर्गत दण्डित स्वयंसेवी होमगार्ड 30 दिवस के भीतर अपील/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु यह देखा गया है कि नियम–13 में दिये गये इस प्रावधान के अनुसार दण्डित स्वयंसेवी नगर सैनिक अपील अभ्यावेदन निर्धारित 30 दिवस की समय–सीमा में प्रस्तुत करने के स्थान पर माननीय न्यायालय में राहत हेतु याचिका दायर करते है। हालाकि उनका यह आचरण इस दृष्टि से अनुचित होता है कि उन्होने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के पूर्व विभागीय सामाधान की व्यवस्था का उपयोग नही किया, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चूकि उनके वैधानिक अधिकार में आता है, इसलिए उनकी इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति

–2–

नही ली जा सकती, हालाकि उनके इस कदम से वे विभागीय स्तर पर अपनी शिकायत के समाधान हेतु 30 दिन में अपील अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर खो देते है।

6– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर इस विषय पर प्रतिपादित विधिक स्थिति तथा मध्यप्रदेश नगर सेना नियम–1947 में दी गई प्रक्रिया में कोई असंगति नही पाई जाती। माननीय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश द्वारा भी कतिपय ऐसे प्रकरणो में विभाग का पक्ष समर्थन करते हुये समय यह ध्यानाकर्षित किया है कि किसी भी स्वयंसेवी नगर सैनिक को उसके अनुशासनहीन कृत्य के लिए दण्डित करने हेतु जो भी प्रक्रिया अपनाई जावे, उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार अपचारी को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावे। इसी प्रकार कोई भी आदेश पारित करते समय सकारण तथा बोलता हुआ (Well reasoned speaking order) के स्वरूप में होना चाहिये।

7– अतः किसी स्वयंसेवी नगर सैनिक को उसके अनुशासनहीन कृत्य के लिए दंडित करने के लिए, इसमें संचिति से विमुक्त करने का दंड भी शामिल है, पूर्व के निर्देशों को अपास्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

**(i)** यदि किसी स्वयंसेवी नगर सैनिक के विरूद्व अनुशासनहीनता की शिकायत अथवा जानकारी प्राप्त होती है, तो आपेक्षित कदाचरण की जांच जिला सेनानी, नगर सेना द्वारा स्वयं अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर भी संस्थित की जावेगी।

**(ii)** किसी भी स्वयंसेवी नगर सैनिक के विरूद्व अनुशासनहीनता के आरोपों में जांच की कार्यवाही ए0एस0आई0(कार्यपालिक) एवं उससे उच्चतर पदो के विभागीय अधिकारी ही संपादित कर सकेंगे।

**(iii)** जांच के दौरान आक्षेपों की सत्यता की पुष्टि करने हेतु सभी सुसंगत साक्षीगण के कथन जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किये जावेगें और सुसंगत अभिलेखी साक्ष्य भी शामिल किया जावेगा। इस जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता (यदि कोई है) तो उसके कथन अवश्य लिये जावेगें। उक्त जांच का प्रतिवेदन जांच–अधिकारी द्वारा जिला सेनानी को प्रस्तुत किया जावेगा।

**(iv)** इस जांच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषण से जिला सेनानी द्वारा यदि यह पाया जाता है कि इसमें शिकायत में उल्लेखित सभी आक्षेपों के संबंध में सभी सुसगत पहलुओं का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया तो वह जॉच प्रतिवेदन जांच अधिकारी को किन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर और जांच करने हेतु रिमान्ड करेगा।

**(v)** जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन स्वयंपूरक तथा सन्तोषजनक स्तर का होने पर जिला सेनानी द्वारा इसका विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला जावेगा कि इस जांच से आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणित हैं अथवा नहीं।

**(vi)** जांच प्रतिवेदन में आक्षेप पूर्णतः प्रमाणित अथवा आंशिक रूप से प्रमाणित होने की दशा में जिला सेनानी जांच प्रतिवेदन की एक प्रति मय सहपत्रों के अपचारी लगर सैनिक को लिखित में उपलब्ध कराके 07 दिवस की समय सीमा में उसका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगा।

**(vii)** अपचारी नगर सैनिक का लिखित प्रतिवाद प्राप्त होने के बाद जिला सेनानी द्वारा उसका विश्लेषण गुण–दोष के आधार पर करते हुये आरोपों के प्रमाणित अथवा अप्रमाणित होने की अर्थात दोनों ही स्थिति में अपना अभिमत समावेशित करते हुये पूर्ण दस्तावेज संभागीय सेनानी, नगर सेना को 07 दिवस के अन्दर भेजा जावेगा।

**(viii)** संभागीय स्तर पर इस जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जावेगा, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगीः–

| | |
|---|---|
| (1) संभागीय सेनानी, नगर सेना | अध्यक्ष |
| (2) किसी अन्य जिले का जिला सेनानी, नगर सेना | सचिव |
| (3) संबंधित जिले का कम्पनी कमाण्डर/ प्लाटून कमाण्डर/ ए0एस0आई0(कार्यपालिक) | सदस्य |

उक्त समिति में जॉच आदेशित करने वाले जिला सेनानी तथा जॉच निष्पादित करने वाले जिला सेनानी/ कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर/ए0एस0आई0 (कार्यपालिक) सम्मिलित नहीं रहेंगे।

**(ix)** उक्त समिति द्वारा जिला सेनानी से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया जावेगा तथा इस हेतु यदि अतिरिक्त जानकारी आवश्यक समझी जाती है, तो वह भी जिला सेनानी से प्राप्त की जावेगी।

**(x)** यह समिति प्रकरण के परीक्षण के दौरान यदि आवश्यक समझे अथवा अपचारी नगर सैनिक द्वारा स्वयं आवेदन दिया जाता है तो उसे समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगी।

**(xi)** समिति द्वारा प्रकरण के समग्र परीक्षण के उपरान्त आक्षेपों को प्रमाणित पाये जाने की दशा में अपचारी नगर सैनिक को नियम–12 में वर्णित किसी सजा से दण्डित किये जाने की अनुशंसा अंकित कर जिला सेनानी को प्रकरण प्रेषित करेगी।

**(xii)** आक्षेपों के अप्रमाणित होने की स्थिति में प्रकरण को नस्तीबद्व करने की अनुशंसा से उक्त समिति संबंधित जिला सेनानी को प्रकरण प्रेषित करेगी।

**(xiii)** जिला सेनानी, नगर सेना, समिति से प्राप्त प्रकरण में की गई अनुशंसा के अनुसार सजा अथवा नस्तीबद्व करने का विधिवत आदेश जारी करेगे।

यदि पारित दंडादेश में अपचारी नगर सैनिक को मुअत्तली, पदच्युती अथवा बरखास्तगी का दंडादेश दिया गया है, तो जिला सेनानी द्वारा पारित किये जाने वाले दंडादेश में अपचारी नगर सैनिक को प्राप्त सजा के विरूद्व नीचे कंडिका (xiv) में दिये गये अपील के प्रावधान व समयावधि से आवश्यक तौर पर अवगत कराया जावेगा।

**(xiv)** **अपील**–मध्यप्रदेश नगर सेना नियम–1947 के नियम–13 अनुसार यदि किसी नगर सैनिक के संबंध में मुअत्तल, पदच्युत या बरखास्त कर देने का निर्णय दिया गया है, तो उसे ऐसे निर्णय के विरूद्व फैसले की दिनांक से 30 दिन के भीतर महानिदेशक, नगर सेना को अपील पेश करने का अधिकार होगा। यह अपील स्थायी आदेश में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार पेश की जा सकेगी तथा अपील सुनने वाले अधिकारी अर्थात महानिदेशक, नगर सेना का अपील पर दिया हुआ निर्णय अंतिम माना जावेगा। ऐसी अपील के निर्णय के विरूद्व कोई भी नजरसानी (रिवीजन) अथवा पुर्नविचार (रिव्यू ) की अर्जी किसी भी अधिकारी के समक्ष पेश नहीं की जा सकेगी।

**सामान्य –**

अ– जॉच के निपटारे में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे एवं दी गई समय–सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जावे।

ब– अपचारी नगर सैनिक को आवश्यक रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

स– शिकायतकर्त्ता (यदि कोई है) तो उसके कथन अवश्य लिये जावे।

द– कदाचरण के लिए दंड का निर्धारण करते समय यह भी देख लिया जावे कि यह दंड कदाचरण की गंभीरता के अनुसार समानुपातिक है। अर्थात गंभीर कंदाचरण के लिए अधिक सजा तथा कम गंभीर कदाचरण हेतु कम सजा दी जावे परन्तु कम गंभीर कदाचरण को दोहराने पर उसे गंभीर माना जा कर तदानुसार सजा दी जावे।

(मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक
3625/6731/2012/बी–4/दो,
दिनांक 22–12–2012 द्वारा अनुमोदित)

(महान भारत सागर)
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक पॉच–17/1293-A/प्रशि0(2)बी/2018, कैम्प –भोपाल, दिनॉक 27 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि –

1– अति0 पुलिस महानिदेशक, होमागर्ड मुख्यालय, जबलपुर।
2– अति0 पुलिस महानिदेशक, एसडीईआरएफ, भोपाल।
3– उप महानिरीक्षक, आपदा प्रबंधन, भोपाल।
4– एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड मुख्यालय, जबलपुर।
5– सीनियर स्टाफ आफीसर (स्था0/प्रशि0/वित्त), होमगार्ड मुख्यालय, जबलपुर।
6– कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली, जबलपुर।
7– समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/एसडीईआरएफ मध्यप्रदेश।
8– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड/एसडीईआरएफ मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश

आन्तरिक :–
पी0एस0 टू डी0जी
जे0एस0ओ0/ओ0एस0/
सीनियर आडिटर/प्रशि0(1)/ रिकार्ड